न्यायालय सिविल जज जू0डि0, मऊ, चित्रकूट।

मूल वाद संख्या–87/2020

शिवमूरत बनाम भुलई आदि

01.12.2020:–

पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुयी। पूर्व तिथि पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को अमीन आख्या 33ग2, आपत्ति वादी 36ग2 व प्रतिवादी की प्रति आपत्ति 38ग2 पर सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

निस्तारण अमीन आख्या 33ग2

न्यायालय के आदेश दिनांक 07.09.2020 के अनुपालन में न्यायालय अमीन द्वारा दिनांक 15.09.2020 को विवादित स्थल का निरीक्षण कर दिनांक 16.09.2020 को अपनी आख्या 33ग2 प्रस्तुत की गयी है।

वादी पक्ष द्वारा आपत्ति 36ग2 दाखिल कर अभिकथन किया गया है कि अमीन आयुक्त द्वारा अपनी आख्या में गाटा संख्या 183 में स्थित बौद्ध विद्यालय का कोई जिक्र नही किया गया है। विवादित भूमि के उत्तर स्थित भुलई का मकान किस नम्बर पर है, इसका उल्लेख नही किया गया है। अमीन आख्या में वादी द्वारा मौके पर बताए गए एवं दर्शाए गए तथ्यों का कोई उल्लेख नही किया गया है तथा विवादित भूमि की चौहद्दी को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना की गयी है कि अमीन आख्या को निरस्त किया जाए।

प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी प्रति आपत्ति 38ग2 में अभिकथन किया गया है कि अमीन आख्या मौके के अनुरूप है। गाटा संख्या 183 के बावत अमीन आख्या बिल्कुल ठीक है क्योंकि उपरोक्त गाटा बौद्ध विद्यालय की संम्पत्ति है, इस नम्बर पर बौद्ध विद्यालय का भवन नही बना है। अमीन आख्या में वादी भूमि यानी गाटा संख्या 182 के उत्तर भुलई का मकान ठीक लिखा है, गाटा संख्या 182 के उत्तर गाटा संख्या 183 स्थित है। अमीन आख्या में अ,ब,स,द से दर्शित स्थल जिस पर प्रतिवादीगण का कमरा लिखा गया है, वह बिल्कुल सही है। गाटा संख्या 182 के उत्तरी सरहद तक मकान वादी बना हुआ है और उसी से लगा उत्तर तरफ गाटा संख्या 183 है, जिस पर प्रतिवादीगण का मकान बना है किन्तु वादी ने 183 के रकबे को 182 का रकबा दर्शाते हुए वाद दायर किया है जो विधि विरूद्ध है। वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पूर्णतः निराधार नुमाइशी व विधि विरूद्ध है।

न्यायालय अमीन द्वारा प्रस्तुत आख्या कागज संख्या 33ग2 के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय अमीन द्वारा मय नजरी नक्शा के आख्या प्रस्तुत की गयी है। वादी की इस आपत्ति कि गाटा संख्या 183 में स्थित बौद्ध विद्यालय का न्यायालय अमीन द्वारा अपनी आख्या में कोई उल्लेख नही किया गया है, के संबंध में प्रतिवादी पक्ष का अभिकथन है कि उक्त सम्पत्ति बौद्ध विद्यालय की तो है परन्तु उस पर कोई विद्यालय नही बना हुआ है। भवन न बने होने की स्थिति

में न्यायालय अमीन द्वारा बौद्ध विद्यालय का उल्लेख न किया जाना अस्वाभाविक नही है। यह तथ्य साक्ष्य का विषय है। वादी की इस आपत्ति में कि भुलई का मकान किस गाटा संख्या में बना है, यह न्यायालय अमीन द्वारा अपनी आख्या में नही बताया गया है, भी बलहीन प्रतीत होती है क्योंकि बिना सर्वे आख्या के यह बताना संभव नही है कि भवन किस गाटा संख्या में स्थित है। पत्रावली में अभी साक्ष्य नही हुआ है। साक्ष्य के स्तर पर उभय पक्ष को अवसर प्राप्त होगा कि वह इन तथ्यों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें। अतः अमीन आख्या 33ग2 साक्ष्य के अधीन पुष्ट किए जाने योग्य है।

आदेश

अमीन आख्या 33ग2 साक्ष्य के अधीन पुष्ट की जाती है। तदनुसार आपत्ति 36ग2 व प्रति आपत्ति 38ग2 निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते सुनवायी/निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग2 दिनांक 03.12.2020 को पेश हो। अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा।

(सुमित कुमार)
सिविल जज जू0डि0
मऊ, चित्रकूट।
आई0डी0 नं0– यू0पी02315